| |
|---|
| दिनाक 12.01.2021 |
| प्रेस विज्ञप्ति–12/21 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया**

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूटा गया (शतप्रतिशत) 18 लाख रूपये नगद,**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद,**

दिनांक 11–01–2021 को थाना अरनिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शास्त्री पार्क दिल्ली से एक अभियुक्त 1–मुनव्वर को तथा पूछतॉछ पर अन्य अभियुक्तों 2–धर्मेन्द्र 3–मनोज उर्फ काके 4–रेशमा पत्नी जियाउल्ल उर्फ जुएल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटा गया (शतप्रतिशत) 18 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनॉक:26.12.2020 को थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत टप्पेबाजी तरीके से लूटपाट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अरनिया पर मु0अ0सं0–302/2020 धारा 392/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुये लूट का शतप्रतिशत माल बरामद किया गया।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त :–**

1–मुनव्वर उर्फ मुन्ना निवासी गली नं0–4 शास्त्री पार्क दिल्ली।

2–धर्मेन्द्र निवासी ग्राम लाख पट्टी मोहल्लू थाना कोतवाली नगर जनपद शामली, हालपता– गली नं0–6 विश्वासनगर थाना विवेक विहार दिल्ली।

3—मनोज उर्फ काके निवासी याकूबपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर ,हालपता गली नं0—2 राधा कुंज, नंदग्राम थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद।

4—रेशमा पत्नी जियाउल्ल उर्फ जुऐल निवासी डीडीए फ्लैट्स शास्त्रीपार्क दिल्ली।

**बरामदगीः—**

1—लूटा गया (शतप्रतिशत) 18 लाख रूपये नगद,

2—घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल

## जनपद फतेहगढ़/थाना मऊदरवाजा

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट के सोने व चॉदी के आभूषण,**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.01.2021 को थाना मऊदरवाजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान आमिलपुर तिराहे के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में बदमाश गुड्डू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट का 10 चॉदी के पाजेब, 04 सोने की कुण्डल, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर , फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। थाना मऊदरवाजा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी,जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0—423/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद सोने, चॉदी के आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मऊदरवाजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त :—**

गुड्डू निवासी पंखीखेड़ा इस्माइलपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाजहॉपुर।

**बरामदगीः—**

1—लूट का 10 चॉदी के पाजेब,

2—04 सोने की कुण्डल,

3—01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस

## जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने चाँदी के आभूषण**
- **01 तिजोरी**
- **04 अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **शटर/तिजोरी काटने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 11—01—2021 को थाना रामगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाईपास कट साई रेस्टोरेन्ट के पास डकैती की योजना बना रहे बदमाशों की घेराबन्दी कर 05 अभियुक्तों 1— यतेन्द्र, 2— केदार, 3— अंशु, 4— मनोज कुमार, 5—अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जेधनिशादेही पर चोरी के भारी मात्रा में सोने चाँदी के आभूषण, चोरी की तिजोरी, 04 अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, शटरध् तिजोरी काटने के उपकरण आदि बरामद हुए ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है तथा कलुआ गैंग के सदस्य है, जिसके द्वारा कई चोरी की घटनाए की गई है, गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद माल कई दिन पूर्व चनौरा स्थित ज्वैलर्स की दूकान में हुई चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1— यतेन्द्र निवासी बागबधिक थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

2— केदार निवासी बागबधिक थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

3— अंशु निवासी बागबधिक थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

4— मनोज कुमार निवासी बागबधिक थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

5— अनिल कुमार निवासी बागबधिक थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

**बरामदगीः—**

1— चोरी के भारी मात्रा में सोने चाँदी के आभूषण।

2— 01 तिजोरी ।

3— 04 अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस।

4— 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

5— शटर/तिजोरी काटने के उपकरण आदि।

## जनपद आगरा/थाना खंदौली

- **पुलिस कार्यवाही में 09 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 स्कार्पियो गाड़ी,**
- **01 अवैध पोनिया 12 बोर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 12 जीवित कारतूस 12 बोर,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस 315 बोर,**
- **03 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी, 02 हजार रू0 नगद आदि बरामद**

दिनांक 12.01.2021 को थाना खंदौली, थाना बरहन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जगदंबा फिलिंग स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान

स्कार्पियो सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 01 अभियुक्त घायल हो गया, जिसे अन्य 08 साथियो के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 स्कार्पियो गाड़ी, 01 अवैध पोनिया 12 बोर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 12 जीवित कारतूस 12 बोर 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी, 02 हजार रू0 नगद आदि बरामद हुऐ। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा, जनपद अलीगढ़, जनपद आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, आदि के कई अभियोग पंजीकृत है ।

इस संबंध में थाना खंदौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1— गोपाल उर्फ वर्दी निवासी नगवई थाना जलेसर जनपद एटा।

2— प्रदीप निवासी कदाई थाना जलेसर जनपद एटा।

3— सुनील निवासी नगला कदाई थाना जलेसर जनपद एटा।

4— कन्हैया निवासी नगवई थाना जलेसर जनपद एटा।

5— राजीव निवासी नगवई थाना जलेसर जनपद एटा।

6— सुबोध कुमार निवासी नगला मीरा थाना जलेसर जनपद एटा।

7— प्रवीण कुमार निवासी नगला गुलाबी थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस।

8— सर्जन कुमार निवासी कदाई थाना जलेसर जनपद एटा।

9— विकास यादव निवासी गदाई थाना जलेसर जनपद एटा।

**<u>बरामदगी</u>**

1— 01 स्कार्पियो गाड़ी,

2— 01 अवैध पोनिया 12 बोर,

3– 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 12 जीवित कारतूस 12 बोर

4– 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस 315 बोर,

5– 03 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी

6– 02 हजार रूपये

## जनपद बिजनौर/थाना चॉदपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **18 बने/अधबने अवैध तंमचे विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 12.01.2021 को थाना चॉदपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सैन्दवार स्थित मकान खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते दो शातिर अभियुक्तों 1–खेमसिंह 2–अरविन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 18 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना चॉदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–खेमसिंह निवासी ग्राम शेखपुरी चौहड़ थाना चॉदपुर।

2–अरविन्द निवासी ग्राम शेखपुरी चौहड़ थाना चॉदपुर।

**बरामदगी**

1–18 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर।

2–शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि।

## जनपद सुल्तानपुर/थाना कादीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 12.01.2021 को थाना कादीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मालापुर नहर पुल मोड़ नागेश्वर धाम के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी भानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के दर्जनो अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कादीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वाछिंत चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कादीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–भानू प्रताप निवासी हमीरपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर।

**बरामदगी–**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोबाइल फोन।

## जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 12.01.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैण्ड नजीबाबाद से पुरस्कार घोषित अपराधी आजाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

आजाद निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

## एसटीएफः दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से जनपद संतकबीरनगर में नियुक्त शिक्षक को एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 11—01—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को श्री दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री दिनेश सिंह निवासी सी—102/270, रामनगर कालोनी, मोहल्ला मोहद्दीपुर, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर वर्तमान में डिप्टी एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पद पर न्यूज 18 इण्डिया नोएडा, गौतमबुद्धनगर में कार्यरत हैं, जिनके शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय कथकपुरवा वि0ख0 रूधौली, जनपद बस्ती में नियुक्त फर्जी शिक्षक दीपक कुमार सिंह को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—**

शेषनाथ सिंह पुत्र स्व0 राम वृक्ष सिंह निवासी ग्राम गजपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर वर्तमान नियुक्ति प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय कथकपुरवा विकास खण्ड रूधौली, जनपद बस्ती

**बरामदगीः—**

1. 01 अदद मोबाइल फोन
2. रूपया—1200/— नगद

बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्तियों में हुयी अनियमितता/फर्जीवाड़ें की शिकायतें एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ को प्राप्त हो रही हैं। इसी क्रम एक गोपनीय सूचना एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ को प्राप्त हुई कि शेषनाथ सिंह निवासी ग्राम गजपुर थाना खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर दीपक कुमार सिंह पुत्र दिनेश सिंह के शैक्षिक दस्तावेजों की कूटरचित अंकपत्र/डिग्री बनवाकर जनपद बस्ती के रूधौली विकास खण्ड में प्रधानाध्यापक के पद पर नौकरी कर रहा है, जिसका मोबाईल नम्बर 6392973491 है।

इस सम्बन्ध में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बस्ती से उक्त सूचना के सम्बन्ध में पत्राचार कर सूचना का आदान—प्रदान किया गया। जमीनी जानकारी प्राप्त करने हेतु पतारसी/सुरागरसी में मुखबिर मामूर किये गये। गोपनीय सूचना की जांच व कार्यवाही के दौरान श्री दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री दिनेश सिंह निवासी सी—102/270, रामनगर कालोनी, मोहल्ला मोहद्दीपुर, थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर मोबाईल नं0 9999884765 ने प्रार्थना—पत्र प्रेषित करते हुये अवगत कराया कि वर्तमान में डिप्टी एक्जीक्यूटिव प्रोडयूसर के पद पर न्यूज 18 इण्डिया नोएडा, गौतमबुद्वनगर में कार्यरत हैं। संज्ञान में आया है कि उनके शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से कोई व्यक्ति शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर नौकरी कर रहा है। दिनांक—11.01.2021 को एस0टी0एफ0 टीम मुख्यालय से रवाना होकर रेलवे स्टेशन खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पहुंची, जहॉ पर मुखबिर खास ने सूचना दी की फर्जी शिक्षक दीपक कुमार सिंह बैंक चौराहा के पास किसी से मिलने के लिए आने वाला है। एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर के साथ फर्जी शिक्षक का इंतजार कर रही थी, उसी समय मुखबिर ने इशारे से बताया कि जो व्यक्ति काले रंग की पैन्ट पहने बर्दहिया बाजार रोड रेलवे क्रासिंग की तरफ से आ रहा है, वही दीपक कुमार सिंह एस0टी0एफ0 टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए समय 17:45 बजे रोका गया और नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम दीपक कुमार सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी मोहद्दीपुर थाना कैण्ट गोरखपुर बताया गया। दीपक कुमार सिंह को उक्त जांच से अवगत कराया गया एवं बी0एस0ए0 कार्यालय बस्ती चलने हेतु कहा गया।

एस0टी0एफ0 टीम दीपक कुमार सिंह को हमराह लेकर हमराही पुलिस बल के साथ बी0एस0ए0 कार्यालय बस्ती पहुंची, जहां पर श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती एवं श्री राम कुमार सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी रूधौली जनपद बस्ती मौजूद मिले। खण्ड शिक्षा अधिकारी रूधौली जनपद बस्ती ने दीपक कुमार सिंह को पहचान कर बताया कि वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रा0वि0 कथकपुरवा, वि0क्षे0 रूधौली जनपद बस्ती में नियुक्त हैं। सम्बन्धित शैक्षिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां एस0टी0एफ0 कार्यालय को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बस्ती के समक्ष उपस्थित दीपक कुमार सिंह उपरोक्त से एस0टी0एफ0 कार्यालय में प्राप्त शैक्षिक दस्तावेजों को दिखाते हुये पूंछतांछ की गयी तो उसने बताया कि गलती हो गयी है। उसका असली नाम दीपक कुमार सिंह नहीं है। उसका वास्तविक नाम शेषनाथ सिंह पुत्र स्व0 राम वृक्ष सिंह निवासी ग्राम गजपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर है। शुरूआती शिक्षा अपने गांव के पास देवरिया गंगा के विद्यालय से ग्रहण किया। उसके बाद कक्षा 10 हीरालाल राम निवास इण्टर कालेज, खलीलाबाद से वर्ष 1986 में उत्तीर्ण किया। कक्षा 12 की परीक्षा भाटपार रानी देवरिया से 1989 में उत्तीर्ण किया था। विद्यालय का नाम याद नहीं है। बी0एससी परीक्षा वर्ष 1992 में किसान डिग्री कालेज बस्ती से उत्तीर्ण किया। इसके उपरान्त कृषि कार्य में लग गया।

पूछताछ में यह भी बताया कि वर्ष 2005—06 में मुखलिशपुर चौराहे पर यदुनंदन यादव निवासी ग्राम हरदी जनपद गोरखपुर से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि पचास हजार रूपये खर्च होगें, सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर नौकरी लगवा दूंगा। यदुनंदन यादव ने उसे इस्माइल बाबू नामक किसी व्यक्ति से दीपक कुमार सिंह पुत्र दिनेश के नाम के शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुये वर्ष 2007 में जनपद बस्ती से फार्म भरवाया था। दीपक कुमार सिंह के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2009 में सहायक अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय सिन्दुरिया विकास खण्ड विक्रमजोत जनपद बस्ती में नियुक्त हुआ। इसके उपरान्त वर्ष 2013 में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत होकर प्राथमिक विद्यालय कथकपुरवा वि0ख0 रूधौली जनपद बस्ती में नौकरी कर रहा था। उससे जांच हेतु शैक्षिक दस्तावेज ए0बी0एस0ए0 रूधौली द्वारा तलब किया गया था। फर्जीवाड़े की जांच शुरू होने की सूचना पर विद्यालय नहीं जा रहा था। मेडिकल अवकाश पर चल रहा था। इसी मध्य दयाशंकर सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी गोरखपुर से मुलाकात हुई, जिन्होंने उसे एक पेपर कटिंग वाट्सअप किया, जिसमें दूसरे के नाम पर नौकरी कर रही सहायक अध्यापिका के निलम्बन का विवरण दिखाया और कहा कि कुल तीन लाख रूपये लगेगा, जिसमें एक लाख पहले व दो लाख

काम होने के बाद, तुम्हारी नौकरी बच जायेगी, नहीं तो फंस जाओगे। दया शंकर सिंह के द्वारा अन्य शिक्षकों का मैसेज उसे भेजा गया और कहा गया कि पैसों की व्यवस्था नहीं करके दोगे तो फंस जाओगे, जिन लोगों ने पैसे दे दिया, उन्हें मैंने बचा लिया है, जिससे वह डर गया। उसके वाट्सअप नं0—6392973491 व दया शंकर सिंह के वाट्सअप मो0नं0—8173955910 से उसके व दयाशंकर के मध्य बातचीत हुई है। शेषनाथ सिंह ने अपने इस वाट्सअप बातचीत को अपने मोबाइल में खोलकर दिखाया। इसी भयवश वह मेडिकल अवकाश के उपरान्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये प्रार्थना—पत्र बी0एस0ए0 कार्यालय में देने वाला था। बी0एस0ए0 जनपद बस्ती कार्यालय से उपलब्ध दीपक कुमार सिंह पुत्र दिनेश सिंह के हाईस्कूल परीक्षा अनुक्रमांक—0854063 वर्ष 1992, इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुक्रमांक—392884 वर्ष 1995, बी0एस0सी0 परीक्षा अनुक्रमांक—99954 वर्ष 1998, बी0एड0 परीक्षा अनुक्रमांक 1200391 वर्ष 2001 का मिलान श्री दीपक कुमार सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी मोहद्दीपुर थाना कैण्ट गोरखपुर के हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, बी0एससी, बी0एड परीक्षा के अंकपत्रों से किया गया, जो समान पाया गया। दीपक कुमार सिंह, प्र0अ0 प्रा0वि0 कथकपुरवा, वि0क्षे0 रूधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति व कूटरचना के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। समय 20:30 बजे उनको जुर्म धारा 409,419,420,467, 468, 471, 389 भा0दं0वि0 से अवगत कराते हुये गिरफ्तार किया गया। पकडे गये फर्जी शिक्षक दीपक कुमार सिंह(वास्तविक नाम शेषनाथ सिंह) की जामातलाशी ली गयी तो पहने शर्ट की जेब से एक अदद मतदाता पहचान पत्र सं0—एसआईवाई 2993913 जिस पर नाम शेषनाथ सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह पता म0नं0—10 स्टेशन पुरवा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व फोटो चस्पा है, जो बी0एस0ए0 जनपद बस्ती कार्यालय से उपलब्ध कर्मचारी के विवरण प्रपत्र पर चस्पा फोटो से मिलती है। इसके विषय में पूंछने पर शेषनाथ सिंह ने बताया कि दीपक कुमार सिंह के नाम से अपनी फोटो चस्पा किया था। मतदाता पहचान पत्र एवं कर्मचारी के विवरण प्रपत्र पर चस्पा फोटो दोनों उसकी ही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त शेषनाथ सिंह पुत्र स्व0 राम वृक्ष सिंह निवासी ग्राम गजपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर (प्रधानाध्यापक, प्रा0वि0 कथकपुरवा, वि0क्षे0 रूधौली जनपद बस्ती), अभियुक्त यदुनंदन यादव, अभि0 दया शंकर सिंह एवं इस्लाम बाबू के विरूद्ध कोतवालीनगर नगर जनपद बस्ती में मु0अ0सं0—12/2021 धारा—409, 419, 420, 467, 468, 471, 389 भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————